D:\Third & Teachers Class\VIPIN2.PM5 (246)

कार्यालय दूरभाष : 0571–2404414
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़
Shri Varshney College, Aligarh
(Accredited B^+ by NAAC)

प्राचार्य
PRINCIPAL

दिनांक : 31–08–2026

सत्र 2025–26 में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या 107/2026–2325/ 26–3–2026–1961934 दिनांकित 29 अगस्त, 2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ00एम0एस0 के रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रवृत्ति से वंचित छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोल दिया गया है ।

उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु शासन से प्राप्त पत्र साथ में सलंग्न है।

31/08/2026

प्राचार्य
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय
अलीगढ़

Shri Varshney College
Aligarh

107/2026

संख्या-2325 /26-3-2026- 1961934

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 29 अगस्त, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने एवं समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1961/स0क0/शिक्षा-अ/8/2026-27 दिनांक 27.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर कक्षाओं में आवेदित परन्तु विभिन्न तकनीकी /अन्य कारणों से योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से वंचित रह गये समस्त वर्गो के पात्र छात्रों हेतु पोर्टल पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोतर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संगत नियमावली में योजनान्तर्गत देयता अगले वित्तीय वर्ष अग्रेनीत नहीं किये जाने का प्राविधान है|

3- वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना में शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर मास्टर डाटा लॉक न किये जाने के कारण, छात्रों द्वारा त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड करने, शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन लम्बित रहने के कारण, पी0एफ0एम0एस0 पर लंबित/रिजेक्टेड प्रकरण तथा ट्रांजेक्शन फेल आदि के कारण आवेदन के पश्चात उपर्युक्त विभिन्न कारणों से योजनान्त्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक छात्रवृत्ति भुगतान उक्त आवेदित पात्र छात्रों को नहीं हो सका| अपवाद स्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर आवेदित छात्रों को योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में आच्छादित किये जाने के विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी है|

4- उक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर आवेदित परन्तु डाटा त्रुटि होने के कारण

व् विभिन्न तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक योजनान्तर्गत पोर्टल पर आवेदन कर चुके जिन पात्र छात्रों को योजना से आच्छादन नहीं किया जा सका उक्त प्रकार के आवेदित व् विद्यमान डाटा को त्रुटि रहित करने व् ऐसे पात्र छात्रों को धनराशि इस वित्तीय वर्ष में नियमानुसार हस्तानांतरित करने हेतु निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । तदनुसार उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। उक्त विषयगत पोर्टल पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत निर्गत की जा रही हैः-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना:</u>मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी / विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित / अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना ।	01 सितम्बर, 2026 से 07 सितम्बर, 2026 तक
2	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन:</u>प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना ।	02 सितम्बर, 2026 से 08 सितम्बर, 2026 तक
3	<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u> :प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना ।	03 सितम्बर, 2026 से 09 सितम्बर, 2026 तक
4	<u>विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अद्यतन करना</u>	03 सितम्बर, 2026 से 10 सितम्बर, 2026 तक
5	<u>एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 सितम्बर 2026 से 15 सितम्बर 2026 तक
6	<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना</u> । छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को शिक्षण संस्थान द्वारा ठीक किया जाना ।	16 सितम्बर, 2026 से 18 सितम्बर, 2026 तक
7	**शिक्षण संस्था द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करना** :शिक्षण संस्था द्वारा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त	17 सितम्बर, 2026 से 19 सितम्बर, 2026 तक

	करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना ।	
8	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी:</u> शिक्षण संस्थान द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एनआईसी की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना ।	20 सितम्बर, 2026 से 22 सितम्बर, 2026 तक
9	<u>जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा को लॉक करना:</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा त्रुटिरहित किये गए सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।	17 सितम्बर, 2026 से 25 सितम्बर, 2026 तक
10	<u>मांग सृजन:</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	26 सितम्बर, 2026 से 28 सितम्बर, 2026 तक
11	<u>धनराशि का अन्तरण:</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/ छात्राओं के आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही ।	29 सितम्बर, 2026 से 02 अक्टूबर, 2026 तक

5-अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वितीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उपर्युक्त के अनुसार पोर्टल खोलते हुए उक्त समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ANURAG YADAV
Date: 29-08-2026 17:16:57
(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRAVEEN MISHRA
Date: 20.08.2020 17:30:45

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव।